न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 06/2016 अपील
पंजीयन दिनांक – 12–01–2016
निर्णय दिनांक – 14–11–2017

श्रीमती प्रेमबाई पत्नि श्री पृथ्वीसिंह , निवासी पीपरड़ा, तहसील व जिला राजसमंद।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.)

–रेस्पोडेण्ट

उपस्थित–

1– श्री मोहम्मद शरीफ छीपा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमंद दिनांक 15.12.2015 प्रकरण संख्या 140/2007..

निर्णय

दिनांक 14.11.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद के निर्णय दिनांक 15.12.2015 प्रकरण संख्या 140/2007 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्रम पीपरड़ा के आराजी नं. 3965/669 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा सिवाय चक भूमि पर कब्जा होने से रेस्पोंडेन्ट ने अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित करते हुए 95/–रुपये की शास्ति आरोपित की। उक्त आदेश की प्रथम अपील जिला कलक्टर राजसमंद के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर राजसमंद ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2007 को प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमंद को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही

हेतु रिमाण्ड़ कर निर्देश दिये कि उपखण्ड़ न्यायालय राजसमंद से संलग्न पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को सुनवाई एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर राजस्व अभिलेख से जांच कर समुचित आदेश पारित किया जावे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.10.2017 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि विवादग्रस्त भूमि उसे ससुर श्री देवीसिंह के नाम पर राजस्व रेकार्ड सम्वत् 2026 में तत्कालीन नम्बर 418 सम्वत 2024 से 2027 की जमाबंदी में खसरा नंम्बर 352/1 एवं खसरा नं. 3965/669 बने है जो भूप्रबन्धक के खसरा सम्वत् 2022 से प्रमाणित होते है। सम्वत् 2022 की पास बुक खाता संख्या 418 में उपरोक्त दोनों खसरा नम्बर प्रार्थीया के ससुर के नाम पर अंकित थे। प्रार्थीया के निधन के बाद विभाजन से उपरोक्त भूमि में से 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के पति के हिस्से में आयी थी परन्तु भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व अभिलेख में त्रुटि के कारण भूमि प्रार्थीया के पति के नाम पर दर्ज नहीं कर बिलानाम सिवायचक दर्जकर दी गई। जिसे प्रार्थीया पुनः खाते दर्ज कराने की अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय में सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिसका खण्ड़न तहसीलदार राजसमंद की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार ने नहीं किया। जिस कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रार्थीया के पक्ष में पुष्टि होकर प्रकरण स्पष्टतः प्रार्थीया के पक्ष में साबित होकर वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की जानी चाहिए , लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर वाकियाति एवं कानूनी भूल की है। अन्त में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.12.2015 निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात को अपीलार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया।

विद्वान राज्य अभिभाषक ने बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में उल्लेखित ग्राम पिपरड़ा की आराजी संख्या 3965/669 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि किस्म बीड़ होकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज रिपोर्ट है एवं वर्तमान समय में भी उक्त भूमि पड़त है। अपीलार्थी श्रीमती प्रेमबाई के ससुर देवी सिंह की शामील पुरानी आराजी नं. के नये नम्बर 3963/667 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा एवं आराजी नं. 3964/668 रकबा एक बीघा सत्रह बिस्वा बिलानाम दर्ज रिकार्ड है। पुराने आराजी नं. 3966/666 रकबा 18 बीघा बिलानाम दर्ज है। पुराने आराजी नं. 3963/667, 3963/668, 3965/669, 3988/666 पूर्व में भी बिलानाम थे व वर्तमान में भी बिलानाम है, जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही है। अपीलार्थी द्वारा बिलानाम आराजी नं. 3965/669 रकबा 03 बीघा 03

बिस्वा पर अतिक्रमण कि नियत रखते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कि जाकर अपीलार्थी को बेदखल किया गया है, जो सही होकर कानून के आधार पर सही है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत खसरा ,कृषि जोत पास बुक खाते की जमाबंदी की प्रति भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) राजस्थान विभाग जयपुर) जमाबंदी की प्रति, गिरदावरी ग्रम पीपरड़ा की प्रति, खसरा मिलान की प्रति, नजरी नक्शा एवं वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन से भी उक्त भूमि के आराजी नम्बर नये एवं पुराने आराजी नम्बर रेवेन्यु रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नये नक्शे एवं पुराने नक्शे की मिलान मे भी आराजी नम्बर अपीलान्ट का खाते में कहीं नाम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के बिन्दुओं की पूर्ण रुप से जांच कर एवं कानून एवं न्याय के सिद्धान्त के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो सही होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का आदेश फरमावें।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में भी बिलानाम थी एवं वर्तमान समय में भी उक्त भूमि पड़त है। अपीलार्थी श्रीमती प्रेमबाई के ससुर देवी सिंह की शामील पुरानी आराजी नं. के नये नम्बर 3963/667 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा एवं आराजी नं. 3964/668 रकबा एक बीघा सत्रह बिस्वा बिलानाम दर्ज रिकार्ड है। पुराने आराजी नं. 3966/666 रकबा 18 बीघा बिलानाम दर्ज है। पुराने आराजी नं. 3963/667, 3963/668, 3965/669, 3988/666 पूर्व में भी बिलानाम थे व वर्तमान में भी बिलानाम है, जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही है। अपीलार्थी द्वारा बिलानाम आराजी नं. 3965/669 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा पर अतिक्रमण कि नियत रखते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कि जाकर अपीलार्थी को बेदखल किया गया है, जो सही होकर कानून के आधार पर सही है। उपरोक्त विवेचन अनुसार हम उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमंद के निर्णय दिनांक 15.12.2015 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है, जिससे हम उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर